न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 191/2024

गुरमीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. बलराज सिंह पुत्र हरफुल सिंह
2. बेअन्त सिंह पुत्र बलराज सिंह
3. कुलदीप कौर पत्नी बलराज सिंह

जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

4. कुलजिन्द्र सिंह
5. गुरप्रीत सिंह

पिसरान वीर सिंह, जाति जटसिख साकिन सरांवावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

6. गमदूर सिंह पुत्र अजमेर सिंह फौत

6/1. गुरमोहन सिंह
6/2. बलराज सिंह

पिसरान गमदूर सिंह

6/3. सुखविन्द्र कौर पत्नी गमदुर सिंह

जाति जटसिख साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

जाति जटसिख साकिन सरांवावाला

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा	प्रार्थी
2. श्री नवीन जैन	अप्रार्थी संख्या 1 ता 6/2
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28/02/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 44/36 के प.नं. 16/305 (17) किला नं. [illegible] की 3.415 हैक., प.नं. 20/310 (58) किला नं. 7 ता 10, 14, 15/1, 15 [illegible] की 1.518 हैक. कुल 4.933 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 250/119 के प.नं. 17/304 (14) किला नं. 1/2, 2/2, 9/2, 10, 11, 12/2 की 1.252 हैक., प.नं. 19/308 (41), 19/309 (50), 19/310 (53),

20/310 (58) की 8.310 हैक. भूमि मुताबिक हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/3 के पिता व पति गमदूर सिंह पुत्र अजमेर सिंह के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 29/19 के प.नं. 16/304 (15) किला नं. 11 ता 15 की 1.265 हैक., प.न. 19/305 (20) किला नं. 2/1, 2/2, 9, 12, 19 की कुल 2.277 हैक. व इसी चक के खाता सं. 27/17 के प.नं. 16/304 (15) किला नं. 16 ता 25, प.नं. 19/305 (20) किला नं. 3/1, 3/2, 8, 13/2 की कुल 3.200 हैक. खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/3 के पिता व पति गमदूर सिंह पुत्र अजमेर सिंह का स्वर्गवास हो चुका है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 250/119 के प.नं. 17/304 किला नं. 1/2/010, 10/.010, 11/.010 हैक. रास्ता उतर से दक्षिण लम्बा पश्चिम दिशा में व अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/3 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 16/304 किला नं. 15/.003 में कटाऊ, 16/. 010, 25/. 010 हैक. रास्ता पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता से होते हुए अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता से ही प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है व कृषि औजार लाता व ले जाता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 250/119 के प.नं. 17/304 किला नं. 1/2/.010, 10/.010, 11/.010 हैक. रास्ता उतर से दक्षिण लम्बा पश्चिम दिशा में व अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/3 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 16/304 किला नं. 15/.003 में कटाऊ, 16/. 010, 25/.010 हैक. रास्ता पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी उतनी कृषि भूमि की डीएलसी दर से दोगुना राशि अथवा उतनी भूमि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार व तत्पर है।

यह कि अप्रार्थी सं. 7 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 250/119 के प. नं. 17/304 किला नं. 1/2/.010, 10/.010, 11/.010 हैक. रास्ता उतर से दक्षिण लम्बा पश्चिम दिशा में व अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/3 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 16/304 किला नं. 15/.003 में कटाऊ, 16/.010, 25/.010 हैक. रास्ता पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री न[illegible] जैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। दिनांक 03.02.25 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वयम् हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा उभय पक्ष को पढकर सुनाया गया सुनकर व समझ कर उभय पक्ष द्वारा राजीनामा स्वीकार किया गया उभय पक्ष द्वारा मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। राजीनामा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:28 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गए। अधिवक्ता प्रर्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा पहचान किये जाने पर बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 30 दिनांक 25.12.25 से प्रस्तुत की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा रास्ता प.नं. 17/304 (14) के कि.नं. 11 के पश्चिमी दिशा व प.नं. 16/304(15) के कि.नं. 15, 16 व 25 में पूर्वी दिशा में चाहा गया है जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि को पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किया जाता है कि– अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से तहसील पीलीबंगा के चक 16 पीबीएन के खाता सं. 250/119 के प. नं. 17/304 किला नं. 1/2/.013, 10/.013, 11/.013 हैक. रास्ता पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा व अप्रार्थी सं. 6/1 से 6/3 की भूमि चक 16 पीबीएन के प.नं. 16/304 किला नं. 15/.003 में कुंटाऊ, 16/0.013, 25/.013 हैक. रास्ता पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता को राजीनामा अनुसार बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 28/2/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.03.04 21:07:28 IST
Reason: SelfAttested